न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
08 / 2025	25.11.2025	21.04.2026

1. दिनेश कुमार सिनोर पुत्र नारायण लाल, कोली निवासी महुकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

2. बत्तीलाल पुत्र सीताराम निवासी हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी ——प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र पैमा निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. काडू पुत्र कान्हा निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. गोपाल पुत्र नारायण निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. धापा पत्नी पैमा निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. प्रभू पुत्र सुकल्या निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. मनफूल पुत्र पैमा निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. ममता पुत्री छीतर निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
8. रामप्रसाद पुत्र पैमा निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. रामफूल पैमा निवासी सलारपुर तह0 गंगापुर सिटी
10. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि हाल ख0न0 441 [illegible]43 है0, ख0न0 442 रकबा 0.13 है0, ख0न0 443 रकबा 0.71 है0, ख0न0 [illegible]4 रकबा 0.37 है0, ख0न0 445 रकबा 0.36 है0 ग्राम हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। उक्त भूमि सहखातेदारी मे है परन्तु पक्षकारान द्वारा मौखिक रूप से भूमि का विभाजन किया हुआ है। प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारों का अपनी अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:07:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

हिस्से की भूमि पर आने जाने हेतु कदमी रास्ता 12 फिट चौडा बना हुआ है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लालरंग से दर्शित किया है। उक्त लाल रंग से दर्शित कदमी रास्ता जिसमे होकर प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि मे आवागमन करता है व कृषि वर्ष मे हल, बैल व कृषि यंत्रों को लाता ले जाता है। उक्त रास्ता ख0न0 443 से चलकर ख0न0 441 मे होकर 442 की मेड के सहारे सहारे ख0न0 430 मे से होकर ख0न0 443 तक जाता है। प्रार्थीगण के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता खेतो तक जाने के लिए नही है। दिनांक 21.9.25 को जब प्रार्थीगण उक्त खेतों मे उगी बाजरे की फसल को ट्रेक्टर मे भकर ला रहा था तो प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित भूमि को रास्ते में अंकित किया जावे तथा उक्त भूमि को गैरमुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 46, 45 नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने उनके कार्यालय के पत्रांक राजस्व /2026/251 दिनांक 28.1.2026 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। रिपोर्ट के स[illegible] रिपोर्ट पटवारी उमरी भी भिजवायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:07:04 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्र दिनांक 28.1.2026 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि हाल ख0न0 441 रकबा 0.43 है0, ख0न0 442 रकबा 0.13 है0, ख0न0 443 रकबा 0.71 है0, ख00 444 रकबा 0.37 है0, ख0न0 445 रकबा 0.36 है0 ग्राम हबीबपुर तह0 गंगापुर सिटी सहखातेदारी की भूमि है तथा यह नम्बर ख0न0 430 रकबा 0.95 है0 गैर मुमकिन नाला से लगे हुए है। उक्त खसरा नम्बरान का नियमानुसार बंटवारा होने के बाद ही परिवादी को रास्ता देने की कार्यवाही किया जाना संभव होगा और ख0न0 430 रकबा 0.95 है0 भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है। जो अब्दुल रहमान से प्रतिबंधित भूमि है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि सहखातेदारी मे दर्ज होने तथा प्रार्थीगण द्वारा गैर मुमकिन नाले मे जाने के लिए रास्ता चाहा गया जो कि न्यायोचित नही है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि सहखातेदारी मे दर्ज होने तथा गैर मुमकिन नाले तक जाने के लिए रास्ता चाहे जाने के कारण प्रार्थीगण का धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.202[illegible] को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:07:04 IST
Reason: SelfAttested

(बृ[illegible] मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) * गंगापुर सिटी (स०मा०)
सत्यमेव जयते